(119)

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D-(D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 25, 1985/माघ 5, 1906
No. 32] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 25, 1985/MAGHA 5, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1985

सा. का. नि. 44 (अ) :— केन्द्रीय सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिमी बंगाल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1976 (1976 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 21) का जैसा कि वह इस समय पश्चिमी बंगाल राज्य में प्रवृत्त है निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है अर्थात:—

उपान्तरण

1. धारा 1 में, —

(1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात:—

"(2) इसका विस्तार संपूर्ण चंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर होगा।"

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात:—

"(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे प्रशासक चंडीगढ राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 के खंड (क) को उस धारा के खंड (कक) के रूप में पुन: अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: अक्षरांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात:—

"(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

3. धारा 5 में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

4. धारा 7 का लोप किया जाएगा।

उपावन्ध

चडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारित रूप म पश्चिमी बंगाल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1976 (1976 का पश्चिमो बंगाल अधिनियम, 21)

संपत्ति के विरूपण के निवारण का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

लोक-हित में यह समीचीन है कि संपत्ति के विरूपण का निवारण करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध किया जाए,

भारत गणराज्य के सत्ताईवें वर्ष में पश्चिमी बगाल के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पश्चिमी बंगाल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1976 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे प्रशासक चंडीगढ़ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं:— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(कक) "विरूपण" के अन्तर्गत रूप या सौन्दर्य को विगाड़ना या छेड़ना, उसे नुकसान पहुंचाना, विद्रूपित करना, खराब करना या किसी अन्य रीति से क्षति पहुंचना है और तदनुसार "विरूपित करना" शब्दों का अर्थ लगाया जाएगा ;

(ख) "संपत्ति" के अन्तर्गत कोई भवन, झोंपडी, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़, स्तम्भ, खम्बा या कोई अन्य परिनिर्माण है ;

(ग) "लेखन" के अन्तर्गत स्टेन्सिल द्वारा बनाई गई सजावट, अक्षरांकण, अलंकरण आदि है।

3. संपत्ति के विरुपण के लिए शासित:—(1) जो कोई जनता की दृष्टि गोचरता में स्याही, चाक, पेंट या किसी अन्य सामग्री से लेखन या चिह्नांकन द्वारा किसी संपत्ति को, उस सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी का नाम और पता उपदर्शित करने के प्रयोजन के सिवाय, विरूपित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई अपराध किसी अन्य व्यक्ति या किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों के किसी संगम के (चाहे वह निगमित हो या नहीं) फायदे के लिए है वहां ऐसा अन्य व्यक्ति और उसके प्रबंध से संबंधित यथास्थिति प्रत्येक सभापति, अध्यक्ष निदेशक, भाग्रीदार, प्रबंधक, सचिव, अभिकर्ता या कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति जब तक यह सावित नहीं कर दिया जाता है कि वह अपराध उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा।

4. अपराध का संज्ञेय होना:— इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

5. लेखन आदि को मिटाने की प्रशासक की शक्ति:— धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रशासक ऐसी कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा जो किसी सम्पत्ति से कोई लेखन मिटाने, उसको किसी विरुपण से मुक्त करने या उससे किसी चिह्न को हटाने के लिए आवश्यक है।

6. अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा:— इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

7. निरसन और व्यावृत्ति:—लोप किया जाएगा।

[य० 11015/2/84 यू.टी.एल०(163)]

एच० वी० गोस्वामी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 1985

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the West Bengal Prevention of Defacement of Property Act, 1976 (West Bengal Act 21 of 1976) as in force in the State of West Bengal at the date of this notification subject to the following modifications, namely —

## MODIFICATIONS

1. In section 1,—

(1) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) It extends to the whole of the Union territory of Chandigarh".

(2) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification, in the Chandigarh Administration Gazette appoint.".

2. In section 2, clause (a) shall be re-lettered as clause (aa) thereof and before clause (aa) as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely :—

'(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution ;'.

3. In section 5, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted.

4 Section 7 shall be omitted.

## ANNEXURE

The West Bengal Prevention of Defacement of Property Act, 1976 (West Bengal Act 21 of 1976) as extended to the Union territory of Chandigarh.

---

An Act to provide for the prevention of defacement of property.

Whereas it is expedient in the public interest to provide for the prevention of defacement of property and for matters connected therewith or incidental thereto ;

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, by the Legislature of West Bengal as follows :

1. Short title, extent and application.—(1) This Act may be called the West Bengal Prevention of Defacement of Property Act, 1976.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Chandigarh.

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification, in the Chandigarh Administration Gazette appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution ;

(aa) "defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty, damaging, disfiguring, spoiling or injuring in any other way whatsoever and the word "deface" shall be construed accordingly ;

(b) "property" includes any building, but, structure, wall, tree, fence, post, pole or any other erection ;

(c) "writing" includes decoration, lettering, ornamentation etc., produced by stencil.

3. Penalty for defacement of property.—(1) Whoever defaces any property in public view by writing or marking with ink, chalk, paint or any other material, except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) Where any offence committed under sub-section (1) is for the benefit of some other person or a company or other body corporate or an association of persons (whether incorporated or not), then, such other person and every president, chairman, director, partner, manager, secretary, agent or any other officer or person concerned with the management thereof, as the case may be, shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence.

4. Offence to be cognizable.—An offence punishable under this Act shall be cognizable.

5. Power of Administrator to erase writing etc.—Without prejudice to the provisions of section 3, it shall be competent for the Administrator to take such steps as may be necessary for erasing any writing, freeing any defacement or removing any mark from any property.

6. Act to override other laws.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.

7. Repeal and savings.—Omitted.

[U-11015/2/84-UTL(163)]
H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985